

पत्र संख्या : 7वि.शा./विविध-12-02/2019-ज०सं०- 46

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 24/06/19

विषय :- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर एवं लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद को कार्यभारित/श्रमपुस्तों को महंगाई भत्ता की बकाया राशि के भुगतान हेतु रु 9.94474 लाख मात्र की निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2702-लघु सिंचाई के अंतर्गत निम्नरूपेण दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्षों/उप शीर्षों के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 में			अभियुक्ति
				पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	लघु सिंचाई, राँची	मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग), मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02 भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उपशीर्ष-02-उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुक्षण, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/श्रमपुस्तों को वेतन, विपत्र कोड-50S270202005020111	0.00000	4.96267	4.96267	W.P.(S) No. 1711 / 2015 एवं W.P.(S) No. 1896 / 2015 के वादियों को महंगाई भत्ता की बकाया राशि का भुगतान।
2			मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग), मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02 भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उपशीर्ष-03-सतही सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/श्रमपुस्तों को वेतन, विपत्र कोड-50S270202005030111	0.00000	4.70568	4.70568	
3.	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद			0.00000	0.27639	0.27639	
योग				0.00000	9.94474	9.94474	


आवंटित राशि -रु नौ लाख चौरानबे हजार चार सौ चौहत्तर मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट शीर्ष 270202005020111 उपबंध राशि रु 5.00 लाख (पाँच लाख) तथा बजट शीर्ष 270202005030111 उपबंध राशि रु 5.00 लाख (पाँच लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
8. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
9. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


(अरुण कुमार सिंह) 24.6.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 46

राँची, दिनांक :- 24/06/19


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/हुसैनाबाद सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरुण कुमार सिंह) 24.6.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 46

राँची, दिनांक :- 24/06/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 24.6.19
अपर मुख्य सचिव